पत्रांक –10/74-09/06-......../

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक–

विषयः–सन्त जॉन एकेडमी, प्रताप चौक, मानपुर, महुँआ, वैशाली को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय्

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन निबंधित सोसाइटी "महुँआ, महिला विकास संस्थान" के द्वारा किया जाता है। न्यास के शासी निकाय के सदस्यो की सूची दी गयी है और यह सूचना भी दी गयी है कि सदस्यों का आपस में पारिवारिक संबंध नही है । सदस्यो का पता देखने से स्पष्ट है कि सभी वैशाली जिले में निवास करते है । सभी सदस्यों का पेशा भी समाज सेवा है । (सूची पताका............ पर देखा जा सकता है)
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी के रूप में अथवा किसी विद्यालय के brand name का उपयोग नही करने का भी दावा किया है । परन्तु, इस विद्यालय के नाम के संबंध में CBSE को माननीय उच्च न्यायलय द्वारा CWJC 3007/2005 अशोक सिंह बनाम यूनियन आफ इन्डिया एव अन्य में पारित आदेश को ध्यान में रखना होगा तथा संस्था को नाम स्कूल का नाम बदलने की सलाह देने पर विचार करना चहिए।
3. विद्यालय के द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप भूमि, भवन, कमरों की संख्या, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि होने का दावा किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधा की जॉच बोर्ड को अपने निरीक्षण दल से करा लेनी होगी ।
4. विद्यालय में 14 शिक्षक कार्यरत है, जिनमें 4 प्रशिक्षित है । हालांकि आवेदन में शिक्षको की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप बतायी गयी है, जबकि 10 शिक्षको के अप्रशिक्षित होने से सूचना में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है । नियुक्ति के सन्दर्भ में समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति संलग्न नही की गयी है । ऐसा कोई साक्ष्य भी नही दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि नियुक्ति विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुनिष्ठ तरीके से की गयी है ।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है ।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक किये जाने का दावा किया गया है । 31.03.2004 का balance sheet संलग्न किये गये है परन्तु इनसे विभिन्न शुल्को के दर की जानकारी प्राप्त नही होती है । विद्यालय को लेखा से संबंधित प्रतिवेदन केन्द्रीय

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ राज्य सरकार को भी भेजनी चाहिए । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे सुनिश्चित करा सकेगी ।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्ते स्वीकार है । अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार :–

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथगिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्ते सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तों के उल्लंधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाए तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शत्तों के आधार पर सन्त जॉन एकेडमी, प्रताप चौक, मानपुर, महुँआ, वैशाली को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

अनुलग्नक –यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक – 615 पटना, दिनांकः– 26.9.06

प्रतिलिपि – प्राचार्य, सन्त जॉन एकेडमी, प्रताप चौक, मानपुर, महुँआ, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

26/9/06

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा